रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 15, 2014/ आषाढ़ 24, 1936
No. 181] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 15, 2014/ASHADHA 24, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2014

सं. यू-23013/15/2014-एल.डब्ल्यू.—ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा कोल इंडिया लि. के तत्वावधान में विभिन्न कोयला कंपनियों नामत: (ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, सैंक्टोरिया; सैंट्रल कोलफील्डस लि., रांची; भारत कोकिंग कोल लि., धनबाद; वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, नागपुर; साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, बिलासपुर; नार्दन कोलफील्डस लिमिटेड, सिंगरौली और महानदी कोलफील्डस लि., संबलपुर) को दिनांक 21.06.1988 की अधिसूचना का.आ. संख्या 2063 के विरुद्ध ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 31 के अंतर्गत उक्त अधिसूचना की अनुसूची में दिए गए कार्यों में ठेका श्रमिक के नियोजन को छूट प्रदान करने पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करता है।

2. समिति का संघटन निम्नलिखित होंगे:-

i. श्री यू. भूपति, अध्यक्ष — सदस्य
222, दूसरा ई क्रॉस, तीसरा ब्लाक, तीसरा स्तर,
बसवेश्वर नगर, बंगलुरु -560079

ii. श्री रमेन्द्र कुमार, सचिव, एटक, — सदस्य
महासचिव, भारतीय खान कामगार परिसंघ,

द्वारा- युनाइटेड वकर्स यूनियन, बुध बाजार,
पोस्ट- भुरकुन्डा- 825301, जिला- हजारीबाग, झारखण्ड

iii. श्री आर. मोहन दास, निदेशक (पीएंडआईआर), — सदस्य
कोल इंडिया लि., नेताजी सुभाष रोड,
कोलकाता-700001

iv. श्री संजीव रस्तोगी, — सदस्य
अधीक्षक अभियंता (सीएंडएम), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,
निर्माण भवन, नई दिल्ली

v. उप-मुख्य श्रमायुक्त (के.), — सदस्य-संयोजक
श्रम भवन, नई कालोनी, जगजीवन नगर,
धनबाद-826003

3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:

" कोल इंडिया लि. के तत्वावधान में विभिन्न कोयला कंपनियों नामत: (ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, सैंक्टोरिया; सैंट्रल कोलफील्डस लि., रांची; भारत कोकिंग कोल लि., धनबाद; वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, नागपुर; साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, बिलासपुर; नार्दन कोलफील्डस लिमिटेड, सिंगरौली और महानदी कोलफील्डस लि., संबलपुर) को दिनांक 21.06.1988 की अधिसूचना का.आ. संख्या 2063 के विरुद्ध ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 31 के अंतर्गत अनुसूची (क्र.सं. 1 से 5) में दिए गए कार्यों में ठेका श्रमिक के नियोजन को कार्यकरण का अध्ययन करना कि इनमें छूट प्रदान किया जाए अथवा नहीं।"

4. समिति का मुख्यालय धनबाद में होगा। समिति पक्षों की सुनवाई फिर से करेगी, पक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति देगी और अपनी रिपोर्ट दो माह के अन्दर प्रस्तुत करेगी।

जी.के. कालरा, सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Central Advisory Contract Labour Board)

RESOLUTION

New Delhi, the 10th July, 2014

No. U-23013/15/2014-L.W.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to consider the Grant of exemption to various Coal Companies under the aiges of Coal India Ltd. i.e. (Eastern Coalfields Ltd, Sanctoria; Central Coalfields Limited, Ranchi; Bharat Coking Coal Ltd, Dhanbad; Western Coalfields Ltd, Nagpur; South Eastern Coalfields Limited, Bilaspur; Northern Coalfields Limited, Singhaurali and Mahanadi Coalfields Limited, Sambalpur) under Section 31 of the Contract Labour (Regulation

and Abolition) Act, 1970, against Notification S.O. No. 2063 dated 21.06.1988 in respect of employment of Contract Labour in the works given in the schedule to the said Notification.

2. The composition of the Committee will be as under:-

i.	Sh. U.Bhupathi, Chairman 222, 2nd E Cross, 3rd Block, 3rd Stage, Basaveshwara Nagar, Bengaluru-560079	— Member
ii.	Sh. Ramendra Kumar, Secretary, AITUC & General Secretary, IMWF, C/o United works' Unions, Budh Bazar, P/o Bhurkunda-825301, Dist- Hazaribagh, Jharkhand	— Member
iii.	Sh. R. Mohan Das, Director, (P&IR), Coal India Ltd. 10, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001	— Member
iv.	Sh. Sanjeev Rastogi, Supdt. Engineer, (C&M), Central Public Work Dept, Nirman Bhawan, New Delhi.	— Member
V.	The Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Shram Bhawan, New Colony, Jagjiwan Nagar, Dhanbad-826003	— Member Convenor

3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows:-

"To study whether there is justification for grant exemption to various Coal Companies under the aiges of Coal India Ltd. i.e. (Eastern Coalfields Ltd, Sanctoria; Central Coalfields Limited, Ranchi; Bharat Coking Coal Ltd, Dhanbad; Western Coalfields Ltd, Nagpur; South Eastern Coalfields Limited, Bilaspur; Northern Coalfields Limited, Singhaurali and Mahanadi Coalfields Limited, Sambalpur) under Section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, against Notification S.O. No.2063 dated 21.06.1988 prohibiting of employment of Contract Labour in the works given in the schedule (Sl. No. 1 to 5) to the said Notification.।''

4. The Headquarter of the Committee will be at Dhanbad. The Committee shall hear the parties afresh, allow submission and submit its report within two months.

G.K. KALRA, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.